

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक

**कुलसत्यिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्यल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।**



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-(एक)/2020/ ।४४
दिनांक :

4. 5. 20

सेवा में,

- प्रबन्धक,
शारदा शान्ति शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान,
बनकटा(वसगित) सदर, आजमगढ़।

विषय : सम्बुद्धालय को स्नातक स्तर पर बीएड्स पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

संहोष्य.

- प्रदान कर दी गयी है:-

 - महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
 - शासनादेश संख्या-5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या- 5125 / 70-2-2005-2(166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन / एन0सी0टी0ई0 जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्बलित एवं कार्डसलिंग के माध्यम से आवृत्ति अर्थीयों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
 - संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
 - यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों के पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
 - महाविद्यालय की भूमि आदि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बद्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
 - शासन के पत्र संख्या-12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16 (33) / 2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के कम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
 - उक्त सम्बद्धता प्रभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
 - A.I.S.H.E. के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समस्त अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
 - सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का भुगतान अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
 - N.C.T.E के मूल पत्र के सत्यापन के अन्तर्गत।
 - महाविद्यालय समय-समय पर शासन / एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेगा।
 - महाविद्यालय उपरोक्त समस्त निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

मवदीप.
०१०५।२०
कूलसाचेप

प्रतिक्रिया:- निम्नलिखित को सचनार्थ प्रेषित।

- सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उम्प्र० इलाहाबाद।
 - क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
 - क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार। जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
 - परीक्षा नियंत्रक।
 - अधीक्षक (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
 - टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कृलसचिव